स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, पालारिवट्टम
कोच्ची-682025
केरल

नंबर: विपणन/म.पा./रायबरेली/012/एलओडब्ल्यूएच/2019-20 **दिनांक: 18.09.2020**

मसाला पार्क, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के माल-गोदामों को पट्टे पर देने केलिए बोलियां आमंत्रित

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तरप्रदेश के दतौली गाँव, रायबरेली में एक मसाला पार्क की स्थापना की है। स्पाइसेस बोर्ड, निम्नलिखित निबंधन व शर्तों के अनुसार पार्क में उपलब्ध 520 वर्ग मीटर क्षेत्र के माल–गोदाम के प्रचालन केलिए बोलियाँ आमंत्रित करता है:

पात्रता

बोली प्रस्तुत करने केलिए निम्नलिखित पात्र हैं:

क) वैध सीआरईएस (मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र) वाले मसाला निर्यातक

ख) जीएसटी पंजीकरण वाले मसाला व्यापारी

ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र वाली कृषक उत्पादक कंपनियाँ

घ) कमोडिटी एक्सचेंज

ई एम डी

पात्र आवेदक, बोली के साथ "सचिव, स्पाइसेस बोर्ड " के नाम एरणाकुलम/कोच्ची में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 25,000/- रुपए का बयाना जमा प्रस्तुत करेगा ।

निबंधन व शर्तें

1. माल-गोदाम 'जैसे है जहां है' की स्थिति में पट्टे/किराए पर दिया जाएगा ।
2. माल-गोदाम को, करार के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि केलिए पट्टे पर दिया जाएगा। पट्टे का किराया, प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर पर बढाया जाएगा।
3. आगामी महीने की पांच तारीख को या उससे पहले स्पाइसेस बोर्ड को 18 प्रतिशत जी एस टी सहित मासिक किराये का भुगतान किया जाएगा। ऐसा न करने पर विलंबित अवधि केलिए दस प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है।
4. माल-गोदाम का इस्तेमाल मुख्य रूप से पुदीना/पुदीना उत्पादों तथा मसालों/मसाला उत्पादों के भंडारण के लिए किया जाएगा।
5. माल-गोदाम का उपयोग अनाज और गैर-कृषि वस्तुओं के भंडारण के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।
6. माल-गोदाम, उस आवेदक को पट्टे पर दिया जाएगा, जिसने प्रति माह सबसे अधिक राशि कोट की है।
7. एक से अधिक आवेदकों द्वारा एक ही प्रकार से उच्चतम दर कोट किए जाने के मामले में, उन निर्यातकों को तरजीह दी जएगी जो माल-गोदाम में पुदीना/पुदीना उत्पादों का भण्डारण करते हैं।

8. बोर्ड से बोली स्वीकृति प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों भीतर उच्चतम बोलीदाता, संलग्न फॉर्मेट के अनुसार बोर्ड के साथ एक करार बनाएगा।

9. उच्चतम बोलीदाता, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर लिए डिमांड ड्राफ्ट या स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर बोर्ड के प्राप्ति खाते में ऑनलाइन बैंक अंतरण के रूप में या तीन महीनों केलिए समतुल्य ब्याज रहित सुरक्षा जमा का भुगतान करेगा या पट्टा अवधि की समाप्ति तक केलिए वैध स्पाइसेस बोर्ड के नाम राष्ट्रीकृत या अनुसूचित बैंक से लिए बैंक गैरंटी जमा करेगा। बोर्ड को माल-गोदाम हस्तांतरित करते समय सुरक्षा जमा/बैंक गारंटी वापस की जाएगी। सुरक्षा जमा करार के साथ भेजना होगा।

10. उच्चतम बोलीदाता करार की तारीख से 15 दिनों के भीतर और सुरक्षा जमा की प्राप्ति के बाद माल-गोदाम का कब्जा ले लेंगे। यदि करार की तारीख से 15 दिनों के भीतर कब्जा नहीं लिया जाता है, तो ईएमडी जब्त कर दी जाएगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस की जाएगी ।

11. माल-गोदाम का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसकेलिए वह लिया गया है और किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

12. पट्टा करार के प्रचलन के दौरान तीन महीने की अग्रिम नोटिस देकर दोनों पक्षों द्वारा करार को समाप्त कर दिया जा सकता है। इस तरह की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, पट्टेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा। बोर्ड पर लागू होने वाला मुआवज़ा, पट्टों की सुरक्षा जमा राशि से काट दिया जाएगा।

13. माल-गोदाम को किसी अन्य फ़र्म केलिए उप-किराए पर नहीं दिया जाएगा।

14. स्पाइसेस बोर्ड, गोदाम केलिए भुगतान आधार पर पानी व बिजली प्रदान करेगा।

15. माल-गोदाम में किसी भी परिवर्तन / संरचनात्मक संशोधन / अतिरिक्त निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. यदि माल-गोदाम सुविधाओं का लगातार तीन महीने से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो बोर्ड पट्टा-करार को समाप्त कर देगा।

17. विवादों का निपटारा: विवाद, यदि कोई करार से उभरता हो या उससे संबंधित हो, तो पक्षकारों के बीच बातचीत से हल किया जाएगा और किसी भी अनसुलझे विवादों को, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाएगा और इसके दौरान दिया गया आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। एकमात्र मध्यस्थ, पट्टादाता और पट्टेदार के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य व्यक्ति होना चाहिए।

18. लागू कानून और कानूनी अधिकार क्षेत्र: यह करार, भारत के कानून द्वारा शासित और गठित माना जाएगा। निविदा और उसके बाद की संविदा / करार से संबंधित कोई भी कानूनी कार्यवाही एरणाकुलम के केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन कानून की अदालतों तक सीमित होगी।

19. जो भी इच्छुक है, वे सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 और सायं 5.30 बजे के बीच निम्नलिखित पते पर, प्रभारी अधिकारी, मसाला पार्क, रायबरेली से संपर्क करने के बाद माल-गोदामों का दौरा करें:

    प्रभारी अधिकारी, मसाला पार्क
    दतौली गाँव, हरचंदपुर पी.ओ.
    रायबरेली, उत्तर प्रदेश – 229 303
    टेली : 8310208940

20. तत्पर पात्र आवेदक, भाग -1 (बोली आवेदन) और भाग -2 (वाणिज्यिक बोली) ऐसा ऊपर लिखे दो अलग-अलग

मुहरबंद लिफ़ाफ़ों में भाग -1 और भाग -2 में दिए गए फॉर्मेट में अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं और दोनों मुहरबंद लिफ़ाफ़ों को "रायबरेली मसालों पार्क में माल-गोदाम को पट्टे पर देने के लिए बोली" ऐसा ऊपर लिखे एक मुहरबंद लिफ़ाफ़े में रखकर 19.10.2020 को दोपहर बाद 3.00 बजे या उससे पहले निम्नलिखित पते पर अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं ।

प्रभारी अधिकारी

मसाला पार्क

दतौली गाँव

हरचंदपुर पी.ओ.

रायबरेली

उत्तर प्रदेश – 229 303

21. बोलियाँ, रायबरेली मसाला पार्क में स्थित स्पाइसेस बोर्ड के कार्यालय में, उसी दिन दोपहर बाद 3.30 बजे को बोलीदाताओं की मौजूदगी में खोली जाएंगी। पहले, पार्ट-1 (बोली आवेदन पत्र) खोले जाएंगे। जिन्होंने अपेक्षित ईएमडी की राशि के साथ पात्रता शर्तों से संबंधित समर्थन दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं, केवल उन्हीं की बोलियों, अर्थात पार्ट-II वाणिज्यिक बोली खोलने पर विचार किया जाएगा।

22. बोर्ड किसी भी / सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने / रद्द करने का अधिकार रखता है ।

स्थान : कोच्ची

दिनांक : 18.09.2020

निदेशक (विपणन)

भाग -1

<u>मसाला पार्क, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के माल-गोदामों को पट्टे पर देने केलिए बोलियां</u>

(अलग मुहरबंद लिफ़ाफ़े में रखा जाना है)

1	आवेदक का नाम व पता	
2	श्रेणी (कृपया टिक करें)	वैध सीआरईएस वाले मसाला निर्यातक मसालों का व्यापार करनेवाली कृषक उत्पादक कंपनी मसाला व्यापारी कमोडिटी एक्सचेंज
3	समर्थक दस्तावेज़ संलग्न (कृपया टिक करें)	मसाला निर्यातक - मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) मसाला व्यापारी - जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र कृषक उत्पादक कंपनी - पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति कमोडिटी एक्सचेंज
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	संपर्क व्यक्ति का ई-मेइल व टेलीफ़ोन नं	
6	जीएसटी नंबर	
7	पीएएन	
8	आधार/उद्योग आधार नंबर	
9	भंडारित करने केलिए प्रस्तावित मसाले/मसाले उत्पाद	
10	बैंक विवरण	खाते का नाम बैंक का नाम शाखा का नाम आईएफ़एस कोड़
11	कोई अन्य विवरण	

(आवेदक का हस्ताक्षर)

स्थान: **कंपनी का मोहर**

तारीख:

भाग – 2

वाणिज्यिक बोली

(अलग मुहरबंद लिफ़ाफ़े में रखना है)

1	माल-गोदाम केलिए प्रति महीना पट्टा-किराया	किराया राशि : .... रुपए जीएसटी (18%) : .... कुल : ....

(आवेदक का हस्ताक्षर)

कंपनी का मोहर

स्थान:

तारीख:

Spices Board
(Ministry of Commerce & Industry, Government of India)
Sugandha Bhavan, Palarivattom
Cochin – 682 025
Kerala

No:MKT/SP/RBL/012/LOWH/2019-20 **18.09.2020**

Bids invited for leasing the warehouse in Spices Park, Raebarely, Uttar Pradesh.

Spices Board, Ministry of Commerce & Industry, Government of India has established a Spice Park at Datauli Village, Raebareli in Uttar Pradesh. Spices Board invites bids for operating the warehouse having an area of 520 Sq.M available in the Park as per the following terms and conditions.

Eligibility

The following are eligible to submit the Bid.

a)Spices exporters having valid CRES (Certificate of Registration as Exporter of Spices).
b)Spices Traders having valid GST registration.
c)Farmers Producer Companies having valid registration certificate issued by Ministry of Corporate Affairs.
d)Commodity Exchanges.

EMD

The eligible applicants shall submit an EMD of Rs.25,000/- in the form of demand draft favoring Secretary, Spices Board, payable at Ernakulam / Kochi along with bid.

Terms and conditions

1. The warehouse will be leased out "as is where is" condition.
2. The warehouse will be leased out for a period of three years from the date of executing the agreement. The lease rent will be increased @ 10% per annum.
3. The Lease rent along with 18% GST shall be paid to the Board every month on or before 5th day of the succeeding month, failing which 12% interest is charged for the delayed period.
4. The warehouse shall be used mainly for storing mint / mint products and spices / spices products.
5. The warehouse shall not be used for the purpose of storing of cereals and non-agriculture commodities.
6. The warehouse will be leased to the applicant who has quoted highest amount per month.
7. In case the highest rate quoted is the same by more than one applicants, preference will be given to those who store mint / mint products in the warehouse.
8. The highest bidder shall execute an Agreement with the Board as per the format attached herewith, within 15 days of the receipt of the bid acceptance offer letter from the Board.

9. The highest bidder shall pay an interest free Security Deposit equivalent to three months rent in the form of Demand Draft in the name of Secretary, Spices Board or online bank transfer to Board's Receipt Account or Bank Guarantee from Nationalized Banks or scheduled Banks in favour of Spices Board having validity till the end of the lease period. The security deposit / Bank Guarantee would be returned at the time of handing over the warehouse to the Board. The security deposit will have to be sent along with the agreement.
10. The highest bidder shall take possession of the warehouse within 15 days from the date of agreement and after the receipt of Security Deposit. If the possession is not taken within 15 days from the date of agreement, the EMD will be forfeited. The EMD of unsuccessful bidders will be refunded.
11. The warehouse shall be used only for the purpose intended and shall not be used for any other purpose.
12. The agreement can be terminated by both the parties by giving 3 month's advance notice during the currency of the lease agreement. In case of such premature termination, the Lessee shall not be entitled for any compensation. Compensation if any applicable to the Board will be deducted from the Security Deposit of the Lessee.
13. The warehouse shall not be sub-let to any other firms.
14. Spices Board will provide water and electricity for the use of warehouse on payment basis.
15. Any alterations / structural modifications / additional constructions will not be allowed in the warehouse.
16. The Board shall terminate the lease agreement if the warehousing facilities are not utilized continuously for more than 3 months.
17. Settlement of Disputes : Disputes, if any, arising out of or relating to the Agreement shall be resolved by negotiation between the parties and any unresolved disputes shall be settled by Arbitration in accordance with the provisions under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the Award made in pursuance thereof shall be binding on both the parties. The Sole Arbitrator should be a person mutually acceptable to the LESSOR and the LESSEE.
18. Applicable Law and Legal Jurisdiction : The Agreement shall be governed and construed by Laws of India. Any legal proceedings relating to the tender and subsequent contract / agreement shall be limited to courts of law under the jurisdiction of the High Court of Kerala at Ernakulam.
19. Those who are interested may visit the warehouse after contacting the Officer In Charge, Spices Park at Raebarely in the following address on Monday to Friday from 9 am to 5.30 pm.

    The Officer in charge, Spices Park,
    Datauli Village, Harchandapur
    P.O Raebarely,
    Uttar Pradesh-229303
    Tel : 8310208940

20. Interested eligible applicants may submit their Bids in the format given in Part-I and Part-II in two separate sealed covers superscribing Part-I (bid application) and Part-II (Commercial Bid) and both the Bids should be placed in a separate sealed envelope superscribed " Bid for leasing the godown in Raibareli Spices Park" to the following address on or before 19.10.2020 at 3.00 pm.

The Officer in charge,
Spices Park,
Datauli Village
Harchandapur P.O
Raebarely,
Uttar Pradesh-229303

21. The bids will be opened at 3.30 pm on the same day ie 19.10.2020 at the office of the Spices Board located in Spice Park, Raebarely in the presence of bidders. First, Part-I (Bid application) will be opened. The bidders who have provided supporting documents with respect to eligibility conditions along with the requisite EMD amount only shall be considered for opening the Part-II bid ie commercial bid.

22.The Board reserves the right to reject / cancel any / all bids without assigning any reasons thereof.

Place : Kochi
Date: 18.09.2020

Director (Mktg)

PART-I

Bids invited for leasing the warehouse in Spices Park, Raebarely, Uttar Pradesh

(TO BE PLACED IN SEPARATE SEALED COVER)

1	Name & Address of the applicant	
2	Category (please Tick)	Spices Exporter having valid CRES Farmers Producers Company dealing in spices Spices Trader Commodity Exchange
3	Supporting document attached (please tick)	Spices Exporter - Certificate of Registration as exporter of spices (CRES) Spices Trader – GST Registration Certificate Farmers Producer Company - registration certificate copy Commodity Exchange
4	Name of the Contact person	
5	E-mail and Tel No of the contact person	
6	GST Number	
7	PAN Number	
8	Aadhar / Udyog Aadhar Number	
9	Spices / spices products proposed to be stored	
10	Bank details	Name of the Account Name of the Bank Name of the Branch IFSC Code
11	Any other details	

Place:
Date:

(Signature of the applicant)
Seal of the Company:

PART-II

COMMERCIAL BID

(TO BE PLACED IN A SEPARATE SEALED COVER)

1.	Lease rent for the warehouse PER MONTH	Rent Amount Rs. GST (18%) Total

Place:
Date:

(Signature of the applicant)

Seal of the Company: